संख्या-146/2026/1395/सैंतीस-2-2026/001-1(21)/2025-2006743

प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-07 जुलाई, 2026

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5271/सा.-2/27/869, दिनांक-10.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित 29 वाहनों का जेम पोर्टल पर अनुमोदित दरों पर क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-268.92 लाख (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख बान्नवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	अधिकारी का नाम	मेक एवं माडल	वाहनों की संख्या
1	निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग	TOYOTA INNOVA CRYSTA (VX 7 S) डीजल	01
2	निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग	TOYOTA INNOVA CRYSTA (VX 7 S) डीजल	01
3	वित्त नियंत्रक, संयुक्त निदेशक प्रशासन, अपर निदेशक ग्रेड-1 नियोजन/गोधन विकास/कुक्कुट एवं अपर निदेशक, ग्रेड-2 (लघु पशु) मुख्यालय स्तर	Maruti Suzuki (XL6 Zeta Petrol)	06
4	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद स्तर (एन.सी.आर. क्षेत्र)	Maruti Suzuki (XL6 Zeta Petrol)	11
5	मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद स्तर हेतु	MAHINDRA & MAHINDRA (MAHINDRA NEO N4 (O) BS6 2)	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		डीजल	
योग-			29

1. क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही वाहन का क्रय किया जायेगा।
4. प्रश्नगत क्रय वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,68,92,000 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 4403008000800 निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-21-X-2026-27-दिनांक:30-6-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-146/2026/1395/सैंतीस-2-2026/001-1(21)/2025-2006743, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।